



2026:AHC:29769

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1945 सन् 2026

श्रीमती नीलू
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: कोमल प्रसाद मौर्य
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के साथ दायर की गई है:

"(i) प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पारित दिनांक 20.9.2025 के आक्षेपित आदेश और प्रतिवादी संख्या 6 (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 और 2) द्वारा पारित दिनांक 8.12.2025 के आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को समय-समय पर नियमित रूप से याचिकाकर्ता को मासिक रूप से वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया हो।

(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को वेतन के बकाया का भुगतान करें।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रसाद मौर्य ने बेहतर विवरण के साथ नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"